

कार्यालय प्रबंधक
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना

श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक की अवधि में कुल आठ ग्रुप में अंकित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एवं माह अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक की अवधि के लिए फल, सब्जी एवं हरा मसाला ग्रुप में अंकित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु यानी, कुल नौ ग्रुप में सामग्रियों की आपूर्ति हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में (द्वि-लिफाफा पद्धति) निबंधित डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में अवस्थित डाक बॉक्स में दिनांक-07.07.2020 को 01:00 बजे अपराहन् तक प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी निविदा को निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक-07.07.2020 को 03:00 बजे अपराहन् में क्रय समिति के समक्ष नियोजन भवन, बेली रोड, पटना अवस्थित श्रमायुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। केवल उन्हीं निविदाओं के वित्तीय निविदा को निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक-07.07.2020 को 03:00 बजे अपराहन् में खोला जाएगा, जिनका तकनीकी निविदा शर्तों के अनुरूप होगा। निविदा के संबंध में आवश्यक सूचना एवं प्रमुख शर्तें श्रम संसाधन विभाग के वेबसाईट <http://labour.bih.nic.in> अथवा www.prdbihar.gov.in पर उपलब्ध है। प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या-0612-2217216 पर सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(अकबर जादुद आसाद)

सहायक श्रमायुक्त-सह-प्रबंधक,
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

बिहार सचिवालय भोजशाला में निविदा के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची

(1) **अनाज**— चावल उसना महीन दाना (उत्तमश्रेणी ब्रांडेड), चावल बासमति (इंडिया गेट उत्तमश्रेणी) (लाल किला उत्तमश्रेणी), अरहर दाल, मसूरदाल, चनादाल, चना, चना का बेसन (स्वास्तिक/श्री नीलकमल/राजकमल), चना का सत्तु (स्वास्तिक/श्री नीलकमल/राजकमल), आटा (आशीर्वाद ब्रांड) 25 किलोग्राम बोरा, उड़द दाल, अरबा चावल साधारण, मोटा चूड़ा, मैदा, हरा मटर, भुजा हुआ चूड़ा, भुजा हुआ मकई, भुजा हुआ बादाम, भुजा हुआ चना, बासमति चूड़ा, मूंग दाल (सभी का दर प्रतिकिलो में)।

(2) **सरसों/रिफाइन्ड तेल**—

सरसों तेल, इंजन ब्रांड (100% सरसों तेल) 15, किलो भरती टीन)।

रिफाइन्ड (सफोला ब्रांड/धारा ब्रांड 5 लीटर भरती जार)।

(3) **खुदरा सामान**— टमाटर सॉस (किसान ब्रांड) (500 ग्राम), सिरका (500 ग्राम, मोहन का), वीम साबुन (300 ग्राम), फिनाईल (ईगल, चीलछाप) एक लीटर, झारण (प्रतिदर्जन), स्वाब (प्रतिदर्जन), धोने वाला सोडा (प्रतिकिलो), नारियल झाड़ू (प्रति पीस), ईस्ट (ब्रांडेड) (500 ग्राम), मीठा सोडा (प्रतिकिलो), मुंगफली दाना (प्रतिकिलो), नारियल सुखा पानीवाला (प्रति पीस), लाईफब्याय साबुन (प्रति पीस 125 ग्राम), रबर स्क्वूज (डंडा लगा हुआ बड़ा), मखाना (प्रतिकिलो), पैकेज्ड मिनरल वाटर बिस्लेरी बोतल (250 एम0एल0, 48 पीस—एक कार्टुन), मिनरल वाटर बिस्लेरी (500 एम0एल0 24 पीस एक कार्टुन), मिनरल वाटर बिस्लेरी एक लीटर 12 पीस एक कार्टुन), मिनरल वाटर 20 लीटर जार में, पेपर नेपकीन (सफेद प्रति सैकड़ा पैकेट), रबर बैंड (500 ग्राम, पैकेट), मिठाई लौक(100 पीस), डिस्पोजेबुल थाली ढक्कन सहित (प्रति सैकड़ा) डिस्पोजेबुल ग्लास (प्रति सैकड़ा), डिस्पोजेबुल कॉफी ग्लास (प्रति सैकड़ा), नारस्ता का डिब्बा (बड़ा एवं छोटा प्रति सैकड़ा), ब्लीचींग पाउडर (500 ग्राम), काजू (प्रति किलो), दनौरी (प्रति किलो), किसमिस (प्रतिकिलो), न्यूट्री च्वाइस डाइजेस्टीव बिस्कुट(250 ग्राम का), गुड्डे बिस्कुट (250 ग्राम का), स्नैक्स, त्रिटेनीया विस्कुट (90 ग्राम का), पावरोटी (मौरिस का, 800 ग्राम एवं 400 ग्राम), लिक्विड हैण्ड वॉश (डिटॉल/लाइफवॉय का 500 मिली0) टमाटर सुप पाउडर, (नेस्ले का, 500 ग्राम का), वेंडिंग मशीन का कॉफी पाउडर एवं चाय पाउडर (नेसले क0 का प्रति किलो), टुथ पिन (प्रति सैकड़ा), सुगर फ्री (10 ग्राम का), ग्रीन टी (टेटली क0 100 पीस), अमूल क्रीम (200 ग्राम का), कुकीज (200 ग्राम का), पेपर रोल (प्रति सैकड़ा), पैकेज्ड हरा मटर (500 ग्राम), चीज (100 ग्राम), हारपीक (एक लीटर), ब्राउन ब्रेड, फ्रेश टोमैटो, कैचअप, किसान(13 ग्राम पाउच),, मिल्क पाउडर, चिप्स (लेयज), बोरवन बिस्कुट, मूंग दाल भुजिया (हल्दी राम) 200 ग्राम, स्वीट कॉर्न, ब्रांडेड, तिलकुट(गुड़), तिलकुट (चीनी), अचार (प्रति किलो), फूल झाड़ू, पोछा डंडा लगा हुआ, हैण्ड ग्लबस (रबड का किचेन के लिए), हैण्ड ग्लबस (कपड़ा का), हेड कॉंभर (ब्रांडेड), हेड कैप कुक (कपड़ा का ब्रांडेड), कपडे का जुता(किचेन के लिए), एप्रैन (कपड़ा) ब्रांडेड, मास्क(कपड़ा) वाशेबुल, सेनिटाइजर(डिटोल/हिमालय—500 एम0एल0), बिजली का बल्ब—सूर्याबांड 12 वाट एवं 18 वाट।

(4) **मसाला**— लहसुन, लालमिर्चा, धनिया, हल्दी, जीरा, गोलमिर्च, बड़ी इलाईची, लौंग, दालचीनी, सहजीरा, मेथी, कालाई, अजवाईन, मंगरैला, छोटी ईलाईची, नमक (टाटा का), (सभी का दर प्रति किलो में), हींग (5 ग्राम पैकेट), पापड़ (200 ग्राम अनिक/राजस्थानी का पैकेट), काश्मीरी मिर्चा (100 ग्राम पैकेट), काला नमक (प्रतिकिलो), कस्तुरी मेथी (25 ग्राम पैकेट), सांभर पाउडर (100 ग्राम), किचेन किंग (100 ग्राम), कबाब चीनी, गोलकी पाउडर, पीला सरसों (प्रतिकिलो)।

(5) **फल, सब्जी एवं हरा मशाला गुप**— (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक की अवधि) आलू, प्याज, परवल, फूलगोभी, नेनुआ, टमाटर, बोरो, गाजर, वीट, बैंगन, कद्दू, सेम, इमली, धनिया पत्ता, शलगम, बंधगोभी, अदरख, खीरा, मूली, हरामिर्चा, फ्रेंचबीन, भिंडी, करैला, शिमला मिर्चा, कच्चा पपीता, सेव, संतरा, हरा चना, मटर छीमी— (सभी का दर प्रति किलो में), कच्चाकेला एवं चीनिया, पीला केला (प्रतिदर्जन), कागजी नींबू (प्रतिपीस), कड़ी पत्ता।

(6) मीट एवं कीमा (खस्सी का) तथा अण्डा

(क) मीट एवं कीमा (खस्सी का) प्रति किलों में।

(ख) अण्डा (मुर्गी का) प्रति दर्जन में।

(7) चाय/कॉफी गुप

चाय - (I) लिप्टन (दजिलिंग लीफ-टी) (II) टेटली (III) ब्रुक बान्ड रेड लेबल (IV) टाटा टी (V) ब्रुक बान्ड ताजा (VI) ब्रुक बान्ड ताज महल एवं अन्य प्रमुख ब्रान्ड।

कॉफी- (I) नेस्कैफे (II) टाटा कॉफी (III) ब्रू एवं अन्य प्रमुख ब्रॉण्ड।

(8) **चीनी** - 50 किलो के बोरा में (मोटा दाना, उत्तम क्वालिटी)।

(9) **क्रॉकरीज** - कप/प्लेट (साधारण प्रति दर्जन), कप/प्लेट (बोनचायना प्रति दर्जन), टी-सेट (बोनचायना प्रति सेट), टी-पॉट (छह कप का, दर प्रतिपीस), टी-पॉट (चार कप प्रति सेट), टी-पॉट (दो कप प्रति सेट), ग्लास ऐरा (प्रति दर्जन), चम्मच (साधारण प्रति दर्ज), क्वार्टर प्लेट बोनचायना (प्रति दर्जन), क्वार्टर प्लेट (साधारण प्रति दर्जन), कप प्लेट (फैन्सी प्रति दर्जन), सुगर पॉट (बोनचायना का, दर प्रतिदर्जन), मिलक पॉट बोनचायना का (दर प्रतिदर्जन)

निविदा के लिये आवश्यक कागजात :-

प्रत्येक निविदादाता को निविदा-पत्र के साथ निम्न कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी कागजात के संलग्न नहीं रहने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. निविदादाता को तकनीकी निविदा के अन्तर्गत अग्रधन (Earnest Money) के रूप में वर्णित समूह के लिये रूपये 20000/- (बीस हजार) के दर से बैंक ड्राफ्ट जो प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के नाम से देय होगा, जमा करना होगा।
2. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निविदादाता के फर्म को निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। फल, सब्जी एवं हरा मशाला गुप के लिए यह आवश्यक नहीं है।
3. जी0 एस0 टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। फल, सब्जी एवं हरा मशाला गुप के लिए यह आवश्यक नहीं है।
4. प्रत्येक गुप में एल-1 दर वाले (जिस सामान की आपूर्ति भोजशाला में अधिक होती है) आपूर्तिकर्ता को दर निर्धारण के समय प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे अधिक एल-1 दर वाले आपूर्तिकर्ता की अहसमति के पश्चात् दूसरे एल-1 दर वाले आपूर्तिकर्ता के साथ निगोशिएशन किया जाएगा।
5. निविदादाता को वित्तीय स्थिति से सुदृढ़ (मजबूत) होना अनिवार्य है। निविदादाता को बचत खाता में न्यूनतम 01 (एक) लाख रुपये जमा होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
6. आयकर विभाग का गत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं पैन नम्बर की छायाप्रति।
7. निविदादाता निविदा में सभी संलग्न कागजातों की सूची अपने फर्म/प्रतिष्ठान के नाम एवं पता के साथ संलग्न करेंगे।

वित्तीय निविदा के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में सभी सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है। सभी प्राप्त निविदादाताओं में से प्रथमतः तकनीकी निविदा को निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियोजन भवन, बेली रोड, पटना अवस्थित श्रमायुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा। केवल उन्हीं निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जाएगा जिनका तकनीकी निविदा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप होगा। वित्तीय निविदा निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियोजन भवन, बेली रोड अवस्थित श्रमायुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा।

निविदा की शर्तें :-

- 1 निविदादाताओं को सामानों की आपूर्ति पुराना (मुख्य) सचिवालय भोजशाला, पटना स्थित भंडार गृह तक करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- 2 निविदा में प्रत्येक सामान के लिए जो दर अंकित किया जायेगा, उसे सभी टैक्स एवं माल ढुलाई भाड़ा सहित माना जायेगा। प्रत्येक माह के अंत में आपूर्तिकर्ता द्वारा विपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आपूर्ति किये गए सामानों का भुगतान किया जायेगा।
- 3 भंडारपाल द्वारा दिए गए आपूर्ति आदेश के अनुसार सामानों की आपूर्ति अविलम्ब करनी होगी।
- 4 विषम परिस्थिति यथा, आवंटन के अभाव में प्रमाणकों के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में आपूर्ति बन्द नहीं करनी होगी।
- 5 जी0 एस0 टी0 अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार टैक्स की कटौती के उपरान्त विपत्र का भुगतान किया जा सकेगा।
- 6 फल एवं सब्जी ताजा एवं उच्च गुणवत्ता का होना आवश्यक है। प्रबंधक द्वारा जाँच में फल एवं सब्जी ताजा एवं उच्च गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर वापस कर दिया जाएगा एवं इसके लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता को चेतावनी दी जायेगी। चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं होने पर आपूर्तिकर्ता के अग्रधन को जब्त करने एवं उन्हें काली सूची में डालने की अनुशंसा श्रमायुक्त, बिहार,पटना से की जा सकती है।
- 7 चाय एवं कॉफी ग्रुप में सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट एवं कम्पनी के अधिकृत डीलर को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- 8 निविदादाता द्वारा गलत कागजातों के जमा किये जाने पर उनके अग्रधन (Earnest Money) को जब्त कर लिया जायेगा एवं उनके निविदा-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 9 चाय एवं कॉफी निविदा में निविदादाता को अधिकतम छूट (प्रतिशत में) एवं वास्तविक आपूर्ति का दर उल्लेख करना होगा। इसमें एम0 आर0 पी0 में परिवर्तन के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन निर्धारित अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता को एम0 आर0 पी0 में परिवर्तन की सूचना 10 दिनों के अन्दर श्रमायुक्त, बिहार, पटना एवं प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना को अधिकृत रूप में देना होगा।
- 10 चाय एवं कॉफी का पुराना स्टॉक स्वीकार्य नहीं होगा।
- 11 निविदा में सफल उम्मीदवार का अग्रधन "सुरक्षित राशि" (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के रूप में सुरक्षित रख लिया जाएगा, जिसे आपूर्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उन्हें वापस किया जाएगा। शेष निविदादाताओं का अग्रधन निविदा प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त निविदा शर्त के अनुरूप वापस कर दिया जाएगा। स्वीकृत निविदा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी विशेष परिस्थिति में विभागीय आदेश पर अगली निविदा के स्वीकृति तक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 ब्राण्ड राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त है या नहीं इस संबंध में श्रमायुक्त, बिहार का निर्णय अन्तिम होगा।
- 13 श्रमायुक्त, बिहार को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः अस्वीकार कर सकते हैं अथवा किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था को बिना निविदा में भाग लिए आपूर्ति आदेश दे सकते हैं। इस संबंध में श्रमायुक्त, बिहार का निर्णय अन्तिम होगा।
14. एकरानमा रद्द करने का अधिकार श्रमायुक्त, बिहार को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में श्रमायुक्त, बिहार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रपत्र में वित्तीय निविदा समर्पित किये जायेंगे-

अनुसूची -1

क्र०सं०	सामग्री का नाम	मात्रा	दर प्रति किलो/ प्रतिपीस/प्रतिदर्जन में (कर सहित)	छूट (प्रतिशत में)	वास्तविक आपूर्ति दर
1	2	3	4	5	6

अनुसूची -2

तकनीकी निविदा निम्नांकित प्रपत्र में समर्पित किए जाएँगे :-

1. निविदादाता / फर्म का नाम :-
2. पूरा पता :-
3. दूरभाष/मोबाईल संख्या :-
4. बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि :-
5. बैंक ड्राफ्ट की राशि :-
6. बैंक का नाम :-
7. पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न) :-
8. जी0एस0टी0 नम्बर (छायाप्रति संलग्न)
9. अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो तो :-
10. अनुसूची-1 संलग्न है अथवा नहीं :-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि निविदा की शर्तों को पूरी सावधानी से पढ़ कर समझ लिया हूँ एवं उसके पश्चात् निविदा पत्र समर्पित किया हूँ। यदि किसी भी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी।

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी सभी कार्य दिवस को प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रबंधक
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।